प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 13.03.2025

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 48 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

दिनांक 12.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ अभियुक्त मिन्टू पुत्र जीतू सिंह पुत्र प्रकाश सिंह निवासी डी 68 सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष को चित्रावन सोसायटी के पास से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 48 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे देशी शराब के पव्वे खरीद कर लाता हूँ और मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ तथा इससे जो रूपये मिलते हैं उन्हें अपने शौक में खर्च कर देता हूँ। मैं ये अवैध शराब बेचने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जीतू सिंह पुत्र प्रकाश सिंह निवासी डी 68 सुदामापुरी थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अवैध देशी शराब बरामदगी के सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

48 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.03.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. पिंकल पुत्र जीतराम उर्फ जीत सिंह निवासी ग्राम व थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष 2. अनुज राठी उर्फ छोटू पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को राम रहीम पैट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम गिरोह बनाकर रंगदारी एवं लूट कर अवैध सम्पत्ति अर्जित करना जैसे अपराध कारित करते हैं तथा हम अपने साथियों के साथ लूट व रंगदारी के अभियोगों में पूर्व में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.पिंकल पुत्र जीतराम उर्फ जीत सिंह निवासी ग्राम व थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. अनुज राठी उर्फ छोटू पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त पिंकल उपरोक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर रंगदारी, लूट व गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त अनुज राठी के विरुद्ध थाना भोजपुर पर रंगदारी व गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोग,थाना मोदीनगर पर लूट का 01 अभियोग,थाना मुरादनगर पर हत्या,गैंगस्टर अधिनियम,आयुध अधिनियम के 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की भिन्न-भिन्न कम्पनी की 06 मोटरसाइकिल व 02 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 13.03.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा पुस्ता रोड ठोकर नं0 09 पर चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभयुक्तों 1.अजय उर्फ रोचक पुत्र बादल निवासी निरंकारी कॉलोनी मुखर्जी नगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष 2. चाहुल पुत्र राजू निवासी इंदिरा विकास कॉलोनी मुखर्जी नगर दिल्ली, उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी की भिन्न-भिन्न कम्पनी की 06 मोटरसाइकिल व 02 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो दोस्त हैं व दिल्ली के रहने वाले हैं। हम दिल्ली /एन.सी.आर व गाजियाबाद लोनी क्षेत्र फैक्ट्री एरिया में रैकी करके मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते थे तथा उन्हें एक स्थान पर जमा कर लेते थे। जब कोई ग्राहक मिल जाता है उसे सस्ते दामों में बेच देते हैं। हम चोरी किये गये वाहनों के कुछ हिस्से-पुर्जे अलग करके कबाड में बेच देते हैं। हमें जो पैसा मिलता है उसे आपस में बाँट कर अपना शौक पूरा करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.अजय उर्फ रोचक पुत्र बादल निवासी निरंकारी कॉलोनी मुखर्जी नगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष।

2. चाहुल पुत्र राजू निवासी इंदिरा विकास कॉलोनी मुखर्जी नगर दिल्ली, उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उक्त चोरी/ बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दिल्ली में वाहन चोरी के 04 अभियोग,थाना लोनी पर वाहन चोरी का 01 अभियोग,थाना अंकुर विहार पर वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे/निशादेही से चोरी की भिन्न-भिन्न कम्पनी की 06 मोटरसाइकिल व 02 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सही पहचान छुपाते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर लोक सेवक (ओमान देश के हाई कमिश्नर) का प्रतिरुपण कर अधिकारियों एवं लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 आईडी कार्ड, 42 विजिटिंग कार्ड, 01 लाल नीली बत्ती, 01 प्लेट नम्बर HR 26 CN 0088 व 01 नीले रंग की प्लेट नम्बर 88 CD 01 लगी हुई काले रंग की मर्सिडीज कार बरामद।

दिनांक 13.03.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी उ0नि0 अशोक तौमर, चौकी प्रभारी यू0पी0 गेट थाना कौशाम्बी, जोन ट्रांस हिण्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सही पहचान छुपाते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर लोक सेवक (ओमान देश के हाई कमिश्नर) का प्रतिरुपण कर अधिकारियों एवं लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा निवासी 13, नेशनल पार्क रोड, लाजपत नगर 4 थाना अमर कॉलोनी, दिल्ली के विरुद्ध धारा 319(2),318(4),336(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

विवेचनात्मक क्रम में थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सही पहचान छुपाते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर लोक सेवक (ओमान देश के हाई कमिश्नर) का प्रतिरुपण कर अधिकारियों एवं लोगों के साथ धोखाधड़ी करना पाया गया। उपरोक्त के क्रम में दिनांक 13.03.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा निवासी 13, नेशनल पार्क रोड, लाजपत नगर 4 थाना अमर कॉलोनी, दिल्ली उम्र करीब 66 वर्ष को यू0पी0 गेट थाना कौशाम्बी से 01 आईडी कार्ड, 42 विजिटिंग कार्ड, 01 लाल नीली बत्ती, 01 प्लेट नम्बर HR 26 CN 0088 व 01 नीले रंग की प्लेट नम्बर 88 CD 01 लगी हुई काले रंग की मर्सिडीज कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर ओमान देश की एम्बेसी के फर्जी दस्तावेज बनाकर जनपद गाजियाबाद, मथुरा, फरीदाबाद आदि में वीआईपी प्रोटोकॉल प्राप्त करने के उद्देश्य व लोगो के साथ धोखाधड़ी करने हेतु इस्तेमाल करता है। अभियुक्त ने बताया कि ओमान देश का हाई कमिश्नर बताने से मुझे वीआईपी सुरक्षा एवं सुविधायें आसानी से मिल जाती है, इस कारण से ही मैंने अपनी प्राइवेट कार पर विदेशी राजनायकों के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली नीली नम्बर प्लेट को फर्जी तैयार कर अपनी कार पर आगे व पीछे लगा ली और साथ ही कार के ऊपर लाल व नीली बत्ती, कार के आगे व पीछे के शीशे पर ओमान देश का फ्लैग स्टीकर, कार के अगले शीशे पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन का लाल रंग का

स्टीकर भी लगाया है। मैंने व मेरे निजी सचिव देव कुमार ने लोगों को फर्जी तरीके से ओमान देश के हाई कमिश्नर का पद बताना शुरु किया। अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा स्वीकार किया गया कि वह ओमान देश के हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त नहीं है। वह केवल गलत तरीके से सुरक्षा व प्रोटोकॉल प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कूटरचित जाली दस्तावेज तैयार कर जहाँ भी वीआईपी सुरक्षा एवं सुविधा चाहिए होती थी उस जिले के जिलाधिकारी को भेजता था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त की पृष्ठभूमिः-</u>

अभियुक्त कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा मूल रुप से जनपद आगरा (उ0प्र0) का निवासी है तथा वर्तमान में 13, नेशनल पार्क रोड, लाजपत नगर 4 थाना अमर कॉलोनी, दिल्ली का निवासी है तथा अभियुक्त वर्ष 1982 – 2015 तक आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा (उ0प्र0) में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहा तथा अभियुक्त का जनपद आगरा (उ0प्र0) में कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम का एक कालेज तथा राजस्थान में एक रिर्जोट भी है। अभियुक्त द्वारा वर्ष 2015 में आगरा में प्रोफेसर के पद से रिटायर होने के पश्चचात वर्ष 2015 – 2018 तक पर्यावरण मंत्रालय में अप्रेजल अथोरिटी में काम किया गया तथा वर्ष 2018 – 2020 तक कुमांऊ यूनिवर्सिटी, नैनीताल (उत्तराखण्ड), वर्ष 2020 – 2021 तक अल्मोड़ा रेजिडेन्सियल यूनिवर्सिटी (उत्तराखण्ड), वर्ष 2021 – 2022 तक मेवाड़ यूनिवर्सिटी (राजस्थान) तथा वर्ष 2022 – 2024 तक जयपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (जयपुर) में वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत रहा।

अभियुक्त कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा वर्ष 2024 में INDIA GCC TRADE COUNCIL नामक एन0जी0ओ0, जिसका काम भारत का गल्फ देशों में व्यापार बढ़ाना है, का मेंम्बर बन गया तथा बाद में उक्त एन0जी0ओ0 का एनजीओ का ओमान देश से व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रेड कमिश्नर बन गया और इसी का फायदा उठाकर वह खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर फायदा उठाने लगा। अभियुक्त द्वारा अपनी निजी गाड़ी रजिस्ट्रेशन संख्या HR 26 CN 0088 का नं0 प्लेट बदलकर डिप्लोमेट्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नीली रंग की नं0 प्लेट जिसका नं0 88 CD 01 लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा।

अभियुक्त कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा द्वारा खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर वीआईपी प्रोटोकॉल प्राप्त करने हेतु ओमान देश की एम्बेसी का एक फर्जी लेटर जिलाधिकारी गाजियाबाद के लिये भेजा गया। अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर मथुरा (उ0प्र0), फरीदाबाद (हरियाणा) में वीआईपी प्रोटोकॉल प्राप्त किया गया। फरवरी 2025 में दिल्ली के एक होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में अभियुक्त द्वारा खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर चीफ गेस्ट के रूप में सम्मिलित रहा था। अभियुक्त द्वारा ऐसा कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर वीआईपी प्रोटोकॉल प्राप्त कर गलत इस्तेमाल किया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -</u>

डॉ0 कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा निवासी 13, नेशनल पार्क रोड, लाजपत नगर 4 थाना अमर कॉलोनी, दिल्ली उम्र करीब 66 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- 01 आईडी कार्ड, 42 विजिटिंग कार्ड, 01 लाल नीली बत्ती, 01 प्लेट नम्बर HR 26 CN 0088 व 01 नीले रंग की प्लेट नम्बर 88 CD 01 लगी हुई काले रंग की मर्सिडीज कार बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः -</u>

गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण शेखर राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह राणा उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः -
थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के लिंग की जाँच करने वाले गैंग के 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 01 पैन ड्राइव, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, 02 मोबाइल फोन, भ्रूण के लिंग की जाँच प्राप्त किए हुए 9,700 रुपये व अन्य सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 12/13.03.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम व सीएमओ गाजियाबाद की संयुक्त टीम द्वारा DDK ईंट भट्ठे पर बब्लू की दुकान ग्राम रिस्तल में एक गैंग द्वारा प्रसव से पूर्व लिंग की जाँच की जा रही है की सूचना के आधार पर गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के लिंग की जाँच करने वाले गैंग के 02 अभियुक्त 1. सतेंद्र सिंह पुत्र अत्तर सिंह निवासी डी 104 पुजारी अपार्टमेंट शिव विहार पश्चिम विहार दिल्ली उम्र करीब 50 वर्ष व 2. नरेंद्र कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी बी-378 संगम विहार-4 लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को मौके से 01 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 01 पैन ड्राइव, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, 02 मोबाइल फोन, भ्रूण के लिंग की जाँच प्राप्त किए हुए 9,700 रुपये व अन्य सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया तथा अन्य दो अभियुक्त 1. कपिल कसाना पुत्र श्री भीम सिंह निवासी ग्राम जावली गाज़ियाबाद व 2. बबलू दुकानदार DDK जावली भट्ठा मौके से फरार हो गए। अभियुक्त कपिल मुख्य संचालन करता है जो पूर्व में भी थाना लोनी बार्डर व दिल्ली में इस प्रकार के अपराधों में गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त सतेंद्र सिंह पुत्र अत्तर सिंह व नरेंद्र कुमार पुत्र कन्हैया लाल उपरोक्त के विरुद्ध धारा 61(2),318(4) बीएनएस, 3(1)/3A/3B/4/5(1)(a)/6(a)/18/23/26 प्री-नेटल डाइग्रॉस्टीक टेक्निक्स एक्ट व 34 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सतेंद्र सिंह पुत्र अत्तर सिंह व नरेंद्र कुमार पुत्र कन्हैया लाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त अपने अन्य 02 साथियों के साथ मिलकर प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की जाँच कर लिंग निर्धारण का काम करते है। जिसके लिए अभियुक्त उपरोक्त प्रति ग्राहक से 15,000/- रू0- 35,000/- रू0 तक लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सतेंद्र सिंह पुत्र अत्तर सिंह निवासी डी 104 पुजारी अपार्टमेंट शिव विहार पश्चिम विहार दिल्ली उम्र करीब 50 वर्ष।
2. नरेंद्र कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी बी-378 संगम विहार-4 लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-
01 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 01 पैन ड्राइव, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, 02 मोबाइल फोन, भ्रूण के लिंग की जाँच प्राप्त किए हुए 9,700 रुपये व अन्य सामग्री बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-
गिरफ्तार अभियुक्त सतेंद्र सिंह पुत्र अत्तर सिंह व नरेंद्र कुमार पुत्र कन्हैया लाल उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 12.03.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 11.03.2025 को वादी का टैन्ट का सामान भगौने, टव, परात, कॉफी मशीन का स्टैंड त्यागी फार्म हाऊस गढी कुम्हैडा रोड पर शादी प्रोग्राम के लिए रखा हुआ था वहीं पर वेटर का काम करने वाले फैजल व मोहिन द्वारा उपरोक्त सामान चोरी कर लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 13.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. फैजल पुत्र इजाजु निवासी नूरगली पानी की टंकी के पास मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष 2. मोहिन पुत्र खुर्शेद निवासी सहविस्वा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को ग्राम खिमावती से सुराना रोड के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 11 भगौना, 08 परात, 03 टव व 01 काफी मशीन का स्टैंड बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों शादी में वेटर का काम करते हैं हमने दिनांक 11.03.2025 को त्यागी फार्म हाऊस गढी कुम्हैडा रोड से वादी का टैन्ट का सामान चोरी कर लिया था और इसे ग्राम खिमावती से सुराना रोड पर ईख के खेत के पास छिपा दिया था आज हम इसे बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. फैजल पुत्र इजाजु निवासी नूरगली पानी की टंकी के पास मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. मोहिन पुत्र खुर्शेद निवासी सहविस्वा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के 11 भगौना, 08 परात, 03 टव व 01 काफी मशीन का स्टैंड बरामद।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।